मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 (अग्रहायण 28, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:05 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

2. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये :-

(1) श्री फूलचंद वर्मा, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(2) श्री मनोज सिंह मण्डावी, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(3) श्री भगवत प्रसाद गुरू, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(4) श्री मुलायम सिंह यादव, पूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(5) श्री आर. मुथैया, पूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(6) श्री माणिकराव होडल्या गावित, पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री,
(7) श्री वेंकट कृष्णमराजु उप्पलपति, पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री तथा
(8) श्री वाय. के. अलघ, पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष, श्री कमलनाथ, सदस्य द्वारा शोकोदगार व्यक्त किये गये.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई. सदन द्वारा 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

तत्पश्चात् दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.35 बजे से 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 11.48 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 3 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 3 एवं 4) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 131 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 154 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की हिंदी शार्टहेण्ड शीघ्र लेखन परीक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजित न होने से हजारों छात्रों का भविष्य अंधकारमय होने,

(2) डॉ. सतीश सिंह सिकरवार, सदस्य की ग्वालियर नगर में स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत निर्मित दुकानों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित न किये जाने,

(3) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की नगर पालिका स्वामित्व की लीज वाली भूमि का फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन किये जाने,

(4) डॉ. गोविंद सिंह, सदस्य (नेता प्रतिपक्ष) की भिण्ड जिले की लहार तहसील के अंतर्गत आलमपुर नगर के समीप बहने वाली नदी में सीवेज का गंदा पानी छोड़े जाने,

(5) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य की प्रदेश के 13 शासकीय मेडीकल कालेजों में कार्यरत लैब असिस्टेंट्स की वेतन विसंगति होने,

(6) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की म.प्र. विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड संभाग राजगढ़, जिला धार में कार्यरत रहे सहायक मानचित्रकार की मृत्यु उपरांत आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति न दी जाने,

(7) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य की कन्या शिक्षा परिसर भवन रूसा करंजिया बजाग के निर्माणाधीन भवन को शीघ्र पूर्ण कराये जाने,

(8) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की प्रदेश की उद्योग इकाईयों द्वारा ले-ऑफ ले आने से श्रमिकों में रोष होने,

(9) श्री संजय यादव, सदस्य की बरगी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या होने,

(10) श्री रामपाल सिंह, सदस्य की गांव की बेटी अथवा प्रतिभा किरण योजनाओं का लाभ न दिये जाने,
संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

5. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख
मध्यप्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा पुलिस संरक्षण व सुरक्षा व्यवस्था हेतु आभार व्यक्त किया जाना

श्री कमलनाथ, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि 13 दिनों की भारत जोड़ो यात्रा जो मध्यप्रदेश से गुजरी थी उस संबंध में मेरे और डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा मुख्यमंत्री से यात्रा के दौरान पुलिस संरक्षण एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु निवेदन किया गया था उसकी पूर्ति अच्छे से हुई है इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद एवं शुभकामनाएं देता हूँ.

6. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2022) पटल पर रखा.

7. सितम्बर, 2022 सत्र की स्थगित बैठकें यथा दिनांक 16 सितम्बर, 2022 (दिनांक 28.7.2022) एवं 17 सितम्बर, 2022 (दिनांक 29.7.2022) की प्रश्नोत्तर सूचियाँ तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड- 11 पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने सितम्बर, 2022 सत्र की स्थगित बैठकें यथा दिनांक 16 सितम्बर, 2022 (दिनांक 28.7.2022) एवं 17 सितम्बर, 2022 (दिनांक 29.7.2022) की प्रश्नोत्तर सूचियाँ तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड- 11 पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

8. नियम 267-क के अधीन सितम्बर, 2022 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन सितम्बर, 2022 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

9. अध्यक्षीय घोषणा
मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव द्वारा लिखित "विधान मंडल पद्धति एवं प्रक्रिया" पुस्तक का विमोचन

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि – "आज 19 दिसम्बर, 2022 को सदन की बैठक के तत्काल बाद मानसरोवर सभागार में मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव द्वारा लिखित "विधान मंडल पद्धति एवं प्रक्रिया" पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम आयोजित है, कार्यक्रम उपरांत माननीय सदस्यों के लिए सदन की लॉबी में दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है. सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त गरिमामय कार्यक्रम के लिए सदन की बैठक के पश्चात् मानसरोवर सभागार में पधारने का कष्ट करें".

10. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्रों में पारित 14 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई हैं, अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों को नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

क्र.	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2022 (क्रमांक 14 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 14 सन् 2022
2.	मध्यप्रदेश माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 19 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 15 सन् 2022
3.	मध्यप्रदेश बेट (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 17 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 16 सन् 2022
4.	भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 16 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 17 सन् 2022
5.	मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डन (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2022
6.	मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 6 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 19 सन् 2022
7.	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 9 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2022
8.	मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी (बानिका प्रोत्साहन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक18 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 21 सन् 2022
9.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 12 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2022
10.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 13 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2022
11.	मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 7 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 24 सन् 2022
12.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2022 (क्रमांक 15 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 25 सन् 2022
13.	मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 10 सन 2022)	अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2022
14.	मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 11 सन् 2022)	अधिनियम क्रमांक 27 सन् 2022

11. ध्यानाकर्षण

(1) श्री पंचूलाल प्रजापति, सदस्य की रीवा के सिरमौर चौराहे से बोदाबाग तक लघु व्यापारियों को विस्थापित किये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना उनकी अनुपस्थिति के कारण नहीं पढ़ी गई.

(2) श्री घनश्याम सिंह तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने दतिया जिले में सिंध नदी का पुल क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोपाल भार्गव, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

12. अविश्वास प्रस्ताव लिया जाना

डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि मैंने मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी है इस पर ससंदीय कार्य मंत्री, डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने अवगत कराया कि सदन समवेत होने के समय, 11 बजे तक इस विषय में आरोप पत्र नहीं दिया गया जो कि नियम प्रक्रिया का हिस्सा है. नेता प्रतिपक्ष द्वारा कहा गया कि 13 दिसम्बर, 2022 को अविश्वास प्रस्ताव की विधिवत सूचना सचिवालय को दी गई. आज मैंने एवं पूर्व विधान सभा अध्यक्ष श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य सहित 40-50 माननीय सदस्यों द्वारा लेटर पेड पर हस्ताक्षरित कर आरोप पत्र विधिवत समय पर प्रस्तुत कर दिया है. कृपया कर आप इसे कब लेंगे यह बतादें.

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि " माननीय नेता प्रतिपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होकर मेरे विचाराधीन है. आरोप पत्र आज अभी 11 बजकर 50 मिनट पर प्राप्त हुआ है. मैं शीघ्र ही इसके संबंध में विचार कर निर्णय लूंगा.

13. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 26-पिछोर से निर्वाचित सदस्य, श्री के. पी. सिंह "कक्काजू" को विधान सभा के दिसम्बर, 2022 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

14. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री लक्ष्मण सिंह
(2) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यान सिंह सोलंकी
(3) सुश्री हिना लिखीराम कावरे
(4) श्री देवेन्द्र वर्मा
(5) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
(6) श्री दिव्यराज सिंह

15. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मण्डल हेतु तीन सदस्यों का निर्वाचन.

श्री कमल पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया कि :-

"यह सभा, उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

16. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल हेतु एक सदस्य का निर्वाचन.

श्री कमल पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया कि :-

"यह सभा, उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 27 की उपधारा (2) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मंडल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

17. निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि इस संबंध में निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

(1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं.
(2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को सायं 5.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक 6 में होगी.
(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 को अपराह्न 1.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है.
(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान, गुरुवार दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा.
(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा.

उपर्युक्त निर्वाचनों हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं।"

18. शासकीय वक्तव्य

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री द्वारा दिनांक 8 मार्च, 2022 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 92 (क्रमांक 856) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

अपराह्न 12.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 (29 अग्रहायण, शक सम्वत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 19 दिसम्बर, 2022.